उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-37 /2023/1581/तीस-3-2023
लखनऊ : दिनांक 06 जून, 2023

विज्ञप्ति/नियुक्ति

परिवहन आयुक्त संगठन के अन्तर्गत कार्यरत श्री अनिल कुमार सिंह, (ज्येष्ठता क्रमांक 74 ए), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान) को नियमित चयनोपरान्त उनके आसन्न कनिष्ठ, श्री कपिल देव सिंह (ज्येष्ठता क्रमांक 75), सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की तिथि से श्री अनिल कुमार सिंह को सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ग्रेड वेतन रू0- 7600/- पे-मैट्रिक्स लेवल-12 के पद पर नोशनल पदोन्नति एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वास्तविक पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- श्री सिंह अपनी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण कर यथावत कार्य करते रहेंगे।

3- श्री सिंह द्वारा नोशनल अवधि में वास्तविक रूप से पदधारित नहीं किया गया था तथा उस पद के सापेक्ष शासकीय कार्य सम्पादित नहीं किये गये थे, अतएव श्री सिंह को नोशनल अवधि का एरियर/भत्ते प्रदान किये जाने का अवसर नहीं है।

4- उक्त आदेश मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (एस.एल.पी.) संख्या-15149/2017 अनिल कुमार सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2022 से आच्छादित है ।

ह0/-

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव।

संख्या- 37(1) /2023/1581(1)/तीस-3-2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2- परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
4- अपर परिवहन आयुक्त,(प्रशासन) उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त, उप परिवहन आयुक्त,(परिक्षेत्र)/ संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
7- सम्बन्धित अधिकारी।
8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस विज्ञप्ति/नियुक्ति को उ0प्र0 के सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए मुद्रित राजपत्र की पच्चीस प्रतियां शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9- कार्मिक अनुभाग-1
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/-
(रेनू वर्मा)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।